

26⁴/₂₂ काल काल आगत मा मान PO साह. कम्प काट पचा 21
। चली रिफ 7/6/22 को फेस । Kimberly

14⁵/₂₂

आज यह पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत
में पेश हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थित आया
वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि
प्रकरण में प्राची का अप्रसूयिगण से राष्ट्रीय
लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो
गया है। प्राची द्वारा प्रायना पत्र अन्तर्गत
द्वारा 212 RTA नोटप्रेस किया।



प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली

Notpress


स्वास्थ्य उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री कलनपुर, जिला गंगानगर

स्थान श्रेणी

दस्तावेज संख्या अन्तर्गत धारा

दिनांक	आदेश या कार्यवाही भव्य हस्ताक्षर जल	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
	<p>का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी का अप्राप्तगीत से बाधितता हो गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 RTI आगे नहीं चलाना चाहता। निहाय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 RTI स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 07/01/22 निरस्त की जाती है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>अ/</p> <p>सदस्य</p> <p></p> <p style="text-align: center;"> अध्यक्ष हाल्लुका विधिक सेवा समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीकरणपुर कूट सं. -050034</p>	